फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक - 08.01.2026

सर्विलांस टीम एवं कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में वांछित 02 अभियुक्तो को आलाकत्ल एक मफलर व हत्या में प्रयोग की गई कार सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चंदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली मोहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित अभियुक्त 01.रजनेश पुत्र राजेन्द्र सिंह 2. प्रशान्त उर्फ कल्लू पुत्र रामनिवास निवासीगण बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर खास की सूचना पर आलाकत्ल एक मफलर व एक कार हुन्डई औरा बिना नम्बर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

01. रजनेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

02. प्रशान्त उर्फ कल्लू पुत्र रामनिवास निवासी बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 06.01.2026 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि नगला बहादुर अन्डरपास पर एक अज्ञात पुरुष व्यक्ति का शव सडक के किनारे पडा हुआ है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर शव के पंचायतनामा/पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर अज्ञात शव की शिनाख्त हेतु सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया । जिसके क्रम में अज्ञात शव की शिनाख्त उसके परिजनों द्वारा विक्रम पुत्र सर्वेश निवासी ग्राम बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ के रूप में की गयी तथा मृतक के पिता सर्वेश कुमार पुत्र स्व0 लाखन सिंह निवासी बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ की लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली मोहम्मदाबाद पर मु0अ0सं0 05/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम रजनेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ आदि 02 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में दिनांक 08.01.2026 को नामजद अभियुक्तगण 01. रजनेश पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ 02. प्रशान्त उर्फ कल्लू पुत्र रामनिवास निवासी बलीपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को हत्या के दौरान प्रयोग किये गये एक मफलर व हत्या में प्रयोग की गयी एक कार हुन्डई औरा बिना नम्बर सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर रजनेश उपरोक्त ने बताया कि सर्वेश के लडके विकास ने मेरी बहन को भगाकर शादी कर ली थी जिसके कारण हम उससे तथा उसके परिवार से रंजिश मानते थे इसके पहले भी हमने फरवरी 2025 में इसी रंजिश को लेकर विकास के साथ मारपीट की थी जिसके सम्बन्ध में विकास ने थाना कमालगंज में हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया था तभी से हम इस फिराक मे थे कि इनको सबक सिखाना है लेकिन विकास अपने परिवार के साथ हरियाणा मे नौकरी करने चला गया लेकिन विकास का भाई विक्रम यही गांव मे अपने चाचा के साथ रहता था वो हम लोगों को हमारी बहन को भगाने को लेकर हमे चिढाता था। जिससे हम लोगों को गांव में शर्मिंदगी महसूस होती थी । दिनांक 05.01.26 को मैने तथा प्रशान्त उर्फ कल्लू ने मेरी नई हुन्डई औरा गाडी में घुमाने के बहाने से बैठा लिया और उसको हम लोग गाडी मे बैठाकर घुमाते रहे रात होने पर गाडी के अन्दर ही विक्रम की मफलर से गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को राते के अंधेरे में नगला बहादुर अन्डरपास के पास फेंक दिया था ।

बरामदगी का विवरण:-

01. आलाकत्ल एक मफलर

02. एक कार हुन्डई औरा नई गाडी बिना नम्बर एमवी एक्ट में सीज

अभियुक्त रजनेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 119/24 धारा 323/427/504 आईपीसी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

02. मु0अ0सं0 45/25 धारा 115(2)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

03. मु0अ0सं0 05/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त प्रशान्त उर्फ कल्लू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 174/23 धारा 363/366 आईपीसी थाना फतेहगढ जनपद फतेहगढ़

02. मु0अ0सं0 05/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस कोतवाली मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री विनोद कुमार शुक्ल
2. निरीक्षक अपराध श्री मुन्नालाल
3. उ0नि0 श्री यतेन्द्र सिंह (चौकी प्रभारी नीबकरौरी)
4. का0 मस्तराम
5. का0 दिग्विजय
6. का0 हरिओम चाहर
7. का0 योगेश कुमार

सर्विलांस टीमः-

01. उ0नि0 श्री संत कुमार (सर्विलांस प्रभारी) मय टीम

मीडिया सेल फतेहगढ़।